

आज पत्रावली पूर्व कारोबार
की पालना हेतु दिनांक 28/1/25
को पेश हो

सहायक कलेक्टर,
आबूरोड (सिरोही)

28/1/25 आज पत्रावली पेश हुई। क्वील मण्डल
आबूरोड में एन एच रोडिशन सड़क के फाट
होने के कारण आगामी पेशी दिलवाने का
निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर पत्रावली
दिनांक 29.1.2025 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

29.01.2025 पत्रावली पेश हुई पूर्व कारोबार
की पालना में दिनांक 31.01.2025 को
पेश हो।

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

31/01/25

~~पत्रावली पेश~~
~~पत्रावली पेश~~ उपरी
~~पत्रावली~~ का कारोबार किया
गया।

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

— मंगल

उक्त प्रकरण के दिनांक 21/4/2024
को शर्तनामा 0-1-R-10(2) CPC
को स्वीकार कर संशोधित कानून
पेश करने के आदेश दिए गए थे।
प्रादीगत अधिवक्ता की संशोधित कानून
पेश करने हेतु पर्याप्त दिवस दिए
जा चुके हैं। किंतु दिनांक तक प्रादी
अधिवक्ता ने संशोधित कानून पेश
नहीं किया गया जो कि न्यायचिन्ता नहीं
है। वाद का भार प्रादी पर होता है।
प्रादी का कर्तव्य है कि समयावधि में
उचित पेश करे जिसके की उद्देश्य
अच्छी न्याय मिले इसके एवं अन्यायपूर्ण
विचारना है। प्रभावकी में स्वयं
कि प्रादी स्वयं अपने स्तर से वाद
चलाते हेतु खाति नहीं रहे रहा है।
किंतु प्रभावकी को आदेश
तकमीन में शरीज की जाती है।

प्रभावकी परामर्श सुधार
होकर नंबर होकर है।
सहायक कलेक्टर
आधुरोड (सिरोही)